

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2023 -केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. (अ)- केन्द्र सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची 1- 2.5% में,

(i) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

(ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

(iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंज-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग";

(iv) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेशन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है ";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(i) असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त (ii) नकली ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है के अलावा, धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्पड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में, शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंज-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग डॉस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/133/2023- टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023 जिसे सा.का.नि. 147 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।